आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक–05.03.2025 (बुधवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से प्रमंडलीय सभागार में NHAI, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, BMSCIL के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। क्रमिक रूप से सभी विभागों एवं पदाधिकारियों की समीक्षा की गयी।

1. NHAI- समीक्षा के क्रम में पूर्णिया–सहरसा रोड़ का वर्त्तमान में चल रहे कार्य की जाँच कराकर गुणवत्तापूर्ण कार्य सूनिश्चित करने का निदेश दिया गया। प्रबंधक तकनीकी NHAI, पूर्णिया के द्वारा बताया गया कि NH 107 पूर्णिया बाईपास के मरंगा मौजा में मुआवजे से असंतुष्ट स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बाधित किया जा रहा है। जहाँ पुलिस बल के साथ NHAI टीम को कार्य करने की व्यवस्था कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जानकीनगर पुल निर्माण कार्य में भी समस्या आ रही है।

   अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया स्वयं स्थलीय जाँच कर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कृत कार्रवाई से अवगत करायेंगे।

2. **बिहार राज्य पथ विकास निगम :–** निगम के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कटिहार जिला अंतर्गत SH-98 (कटिहार–बलरामपुर रोड) परियोजना (लम्बाई 62.82) में भू–अर्जन के भुगतान की प्रगति काफी धीमी है। 2883 रैयतों में से 1100 रैयतों का ही भुगतान हुआ है। 526 संरचनाओं में से मात्र 64 संरचना का भुगतान हुआ है। रैयतों को भुगतान नहीं होने से उनके द्वारा निर्माण कार्य में वाधा उत्पन्न की जा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार इस संबंध में सकारण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। तथा अगली समीक्षा बैठक में उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया Forest Clearence नहीं मिलने से 18.8 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य प्रभावित है। 17.121 हेक्टेयर की मांग वन विभाग द्वारा किया गया है। समाहर्त्ता, कटिहार को इसका समाधान करने का निदेश दिया गया।

   पूर्णिया एवं किशनगंज जिला अंतर्गत SH-99 (बायसी–बहादुरगंज–दिघलबैंक रोड) में किशनगंज जिला अंतर्गत सिकमी कायमी रैयतों को भुगतान के संबंध में निर्णय नहीं होने के कारण 150 संरचना का भुगतान नहीं हुआ है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित है। स्थानीय रैयतों द्वारा कार्य में रूकावट डाला जा रहा है। दो मौजा का Section-II प्रकाशन नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं किशनगंज को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया जाता है। वे अगली समीक्षा बैठक में उपस्थित रहेंगे।

3. **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम :–** निगम के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि
   I. पूर्णिया जिला अंतर्गत कानकी–अभयपुर घाट में भू–अर्जन के संबंध में SIA में काफी विलम्ब हो रहा है जबकि किशनगंज जिला अंतर्गत यह कार्य हो चुका है वर्तमान में Expert committee गठन किया गया है।

P.T.O.

II. पूर्णिया जिला के के0नगर प्रखंड अंतर्गत बखरी कोल विषहरिया पथ में पुल निर्माण कार्य कराया गया है लेकिन पहुँच पथ एवं पुल कार्य का भू–अर्जन अभी तक नहीं हो पाया है। जिसके फलस्वरूप भूमि तक SIA एवं अन्य प्रक्रिया नहीं हो पाया है।

III. अररिया जिला अंतर्गत जोगबनी पथ में पुल निर्माण कार्य हो चुका है लेकिन भू–अर्जन नहीं होने से कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संबंधित अपर समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी लंबित कार्यों में गति लाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

4. **BMSCIL:–**निगम के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कटिहार जिला अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कुल 32 चयनित स्थलों पर निर्माण कार्य हेतु भू–खण्ड उपलब्ध कराया गया है। जिसमें 07 कार्य स्थलों पर निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। अपर समाहर्त्ता इसकी समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

अगली समीक्षा बैठक दिनांक – 09.04.2025 को 10.30 बजे की जायेगी।

ह0/–
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 1056 दिनांक 13-03-25

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य पथ विकास निगम पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंधक, BMSCIL पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajek.
13/3/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया